


वित्त विभाग  
(कर अनुभाग)  
अधिसूचना  
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.300.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि संबंधित प्राइवेट विश्वविद्यालय के अधिनियम के उपबंधों और शिक्षा (यु.-4) विभाग के आदेश सं. एफ.3(14)एजु-4/2006 दिनांक 26.07.2007 द्वारा जारी किये गये "पृथक अधिनियम द्वारा प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों" के अनुसरण में "प्रायोजक निकाय" से "प्राइवेट विश्वविद्यालय" को स्थावर संपत्ति के अंतरण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और एक प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-236]

राज्यपाल के आदेश से,

  
मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION  
Jaipur, March 9, 2015**

**S.O.300.-** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of transfer of immovable property from "Sponsoring Body" to "Private University" in pursuance of the provisions of the Act of the Private University concerned and "The Guidelines for the Establishment of Private Universities by Separate Act" issued by Education (Gr.-4) Department vide order No. F.3(14)Edu-4/2006 dated 26.7.2007, shall be reduced and charged at the rate of one percent.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-236]

By order of the Governor,



**(Manish Mathur)**

Jt. Secretary to the Government